कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर–पूर्व जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।

<u>परिपत्र</u>

विषयः राजभाषा हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु दो प्रतिशत अतिरिक्त कार्य भत्ता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

राजभाषा हिन्दी में उतकृष्ट करने पर नियमानुसार दिए जाने वाले पारितोषिक (अतिरिक्त कार्य भत्ता) के विषय में कार्यालय परिपत्र संख्या 1030–1200/हिन्दी/237/2018, दिनांक 04.01.2018 (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें।

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर पूर्व, जिला का स्वीकृति से आप सभी को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2018 में राजभाषा हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों (गैर न्यायिक) व कर्मचारियों को नियमानुसार चालू वितीय वर्ष में दो प्रतिशत (2%) अतिरिक्त कार्य भत्ता पारितोषिक के तौर पर दिया जाना प्रस्तावित हुआ है। नियमों की प्रतिलिपि संलग्न है।

सभी इच्छुक अधिकारी (गैर न्यायिक) व कर्मचारी, जिनके द्वारा वर्ष 2018 में राजभाषा हिन्दी में किए गए कार्यों की शब्द संख्या न्यूनतम 20,000 शब्द या उससे अधिक वार्षिक है, वे अपना नामांकन /आवेदन पत्र, राजभाषा हिन्दी में किए गए कार्यों के विवरण सहित 5 जूलाई 2019 तक नियमानुसार राजभाषा हिन्दी अनुभाग, उत्तर पूर्व , पोटा केबिन, तृतीय तल, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली को भेजें।

निर्धारित दिनांक के बाद प्राप्त होने वाले किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

06/06/19

(रुचि अग्रवाल असरानी)
महानगर दण्डाधिकारी/नोडल अधिकारी
उत्तर–पूर्व, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली

संख्या 3230-3237 /हिन्दी/उत्तर–पूर्व/2019/दिल्ली दिनांक 06/06/19

<u>सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र की प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित की जाती हैः–</u>

1. निजी सचिव, कार्यालय माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर–पूर्व, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
2. समस्त विद्वत न्यायिक अधिकारी, उत्तर–पूर्व जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली (इस आग्रह के साथ की अपने आधीनस्त सभी कर्मचारियों का प्रेषित करवाएं)।
3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वियन समिति, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
4. प्रशासनिक अधिकारी, उत्तर–पूर्व जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
5. समस्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/अनुभाग प्रभारी, सभी शाखा/विभाग/अनुभाग/रिकार्ड रूम, उत्तर–पूर्व जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
6. आहरण एवं संवितरण अधिकारी , उत्तर–पूर्व जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
7. प्राप्ति एवं निर्गमन शाखा, उत्तर–पूर्व जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली। (लेयर्स पर अपलोड करने हेतू)

रेनू शर्मा

(रेनू शर्मा) 06/6/19
प्रशासनिक अधिकारी(न्यायिक),
उत्तर–पूर्व, कड़कड़डूमा न्यायालय,